प्रारूप 28

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

57 (55)

5353
30/11/07
7-12-07 2007

सेवा में
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा।

विषय :- हरीदत्त पेटशाली इन्टर कॉलिज से पेटशाल मोटर मार्ग।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सर्वे जो पूर्व में की गई थी में कुछ गाँव वासियों का विरोध था अतः सभी ग्राम वासियों की एक मिटिंग बुलाई गई जिसमें एक सहमति से यह आम सहमती बनाई गई कि पूर्व में स्वीकृत सर्वे पर ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाय एवं गाँव वासियों की यही इच्छा है, कि इस मार्ग पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय इस में अब किसी को कोई आपत्ति नही है, साथ ही मार्ग में पड़ने वाले मकानों के नीचे दीवाल बनवाई जाय तो इसमें किसी गाँववासी को कोई आपत्ति नही होगी।

धन्यवाद।

ग्राम प्रधान

प्र. कि. प्रधान
ह० समस्त गाँववासी

महेन्द्र सिंह

सत्यापित प्रति

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता।
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

kholia.

58 (56)

आज दिनाँक 1.11.2009 को ग्राम पंचायत चितई पंत में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री वन पंचायत चितई पंत के सरपंच द्वारा की गयी। एवम् इस बैठक में वन रक्षक चितई बीट द्वारा भी भाग लिया गया बैठक निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

(1-) चितई पंत में रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसकी क्षति पूर्ति के लिए चिमची नौला ~~नामक~~ नामक स्थान जो कि चितईपंत वालो की सिविल भूमि है। जिसका क्षेत्र फल 15-पन्द्रह हेक्टर के लगभग है।

(2-) हम समस्त ग्राम वासी इस क्षेत्र को वन विभाग को वृक्षा रोपण कार्य हेतु देने को सहमत है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि।

(3-) यह वृक्षा रोपण एवम् चार दिवारी वन पंचायत और ग्राम वासी ही करेंगे। अन्यथा यह कार्य दूसरे ~~ग्राम~~ ग्राम वासीयो को देने पर इसका विरोध (वन पंचायत) एव ग्राम वासी करेंगे।

समस्त ग्राम वासी

(1-) तुल्सी देवी
(2-) हेमा देवी
(3) प्रकाश चन्द्र
(4) अनिता देवी
(5-) भावना देवी
(6-) रीता आर्या
(7) इन्द्रा आर्या
(8-) दुर्गा देवी
9 -
10 कमला देवी
11 - [illegible] देवी
12 - चन्द्रा देवी
(13-) शोभा देवी

भवदीय

सरपंच,
वन पंचायत चितई पंत
पो० - चितई,
पटवारी क्षेत्र-चितई.

सरपंच
वन पंचायत चितई (पंत)
ग्राम व पो० चितई
विकास खण्ड हवालबाग
जनपद अल्मोड़ा

दिनाँक 5-1-09

प्रधान
ग्राम पंचायत चितई पन्त,
विकास खण्ड - हवालबाग,
जिला - अल्मोड़ा

वन रक्षक
चितई बीट

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता।
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

59 (57)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) ग्राम-पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल० 6.00 किमी०) के निर्माण हेतु ग्राम-पेटशाल बाड़ी पट्टी - खासपर्जा, तहसील-अल्मोड़ा की 0.1700 हेक्टेयर अर्थात आठ नाली आठ मुठ्ठी वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है। अतः प्रभावित होने वाली वन पंचायत भूमि को हम देने के लिए सहमत हैं।

सरपंच चितई पंत

सरपंच,
वन पंचायत चितई पंत,
ग्रा० - चितई,
पेटशाली ...

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

कार्य का नाम - जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे (हरीदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी०)

Component wise Details of Construction Work

Part 1.

1- Hill cutting and filling.
2- Construction of Scupper

Part 2.

1- Construction of parapet.
2- Construction of R/B wall.
3- Construction of Km. Stone, Hec. Stone, Edge Stone.
4- Soiling to remove defects.
5- Construction of katcha drain

Improvement.

1- Soiling
2- Inter Coat
3- Top Coat
4- Surface Course.
5- Construction of pucca Drain
6- Crash barriers/Delinators
7- Road Marking
8- Sign Boards.

प्रपत्र—18

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रारूप-33

(42)

कार्यालय मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

उत्तराखण्ड शासन

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी 20/सड़क संरेखण/कुमायूँ / 2008

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के विस्तार के चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक मोटर मार्ग के 8.00 कि0मी0 सड़क संरेखन की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

फरवरी 2008

(43) (42)

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के विस्तार के चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक मोटर मार्ग के 8.00 कि0मी0 सड़क संरेखन की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

1– प्रस्तावनाः–

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के विस्तार के चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक मोटर मार्ग के 8.00 कि0मी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियंता के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 20.02.2008 को श्री पी0 के0 सिंह, सहायक अभियंता एवं दिनेश गिरिराज, कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खंड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा के साथ अधोहरताक्षरी द्वारा किया गया । स्थल का निरीक्षण, स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके ।

2–स्थितिः–

1. यह संरेखन अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 10 है0मी0 6–8 के चितई पन्त तिराहे नामक स्थान से प्रारम्भ होता है।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार पेटशाल..................अक्षांश तथा.....................देशान्तर पर स्थित है।

3– भूगर्भीय स्थितिः–

यह संरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के अन्तर्गत अल्मोडा वर्ग के ग्रेनाइट–ग्रेनोडायोराइट वर्ग के नाइस–शिश्ट फार्मेशन एवं रामगढ़ वर्ग के क्वार्टजाईट फोरमेशन में फैला हुआ है । स्थल क्षेत्र में मिट्टी के रंग की महीन एवं मोटे पर्तवाली क्वार्टजाईट–नाइस–शिश्ट चट्टानें तीन प्रकार के ज्वाइन्ट से पूर्ण पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ विद्यमान है । इस संरेखन में चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत् है।

1.	150 – 330	/ पूर्वोत्तर	/ 31^0	नति
2.	150 – 330	/ पूर्वोत्तर	/ 33^0	नति
3.	150 – 330	/ पूर्वोत्तर	/ 35^0	नति
4.	60 – 240	/ पश्चिमोत्तर	/ 55^0	संधि
5.	60 – 240	/ पश्चिमोत्तर	/ 57^0	संधि
6.	60 – 240	/ पश्चिमोत्तर	/ 590	संधि
7.	120– 300	/दक्षिण पश्चिम	/ 350	संधि
8.	120 – 300	/दक्षिण पश्चिम	/ 370	संधि
9.	120 – 300	/दक्षिण पश्चिम	/ 390	संधि

चट्टानों के ऊपर डेब्रिस तथा उसके ऊपर, मिट्टी की पर्त विद्यमान है। टेक्टोनिक कम निम्नवत् है:–

घास आदि

मिट्टी की महीन परत

डेबिस

नाइस

शिश्ट

नाइस

चट्टान

चट्टानों के ऊपर घास आदि विद्यमान है। इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में दक्षिणपूर्व एवं पूर्वोत्तर दिशा को है।

4– स्थल वर्णन :–

यह संरेखन अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0, 10 है0मी0 6–8 से प्रारम्भ होकर प्राईमरी पाठशाल के पास अल्मोड़ा–घाट के कि0मी0 13.00 के बीच में 8.00 कि0मी0 लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर से प्रारम्भ होकर 2 कि0मी0 पूर्वोत्तर दिशा को दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद संरेखन पश्चिमोत्तर दिशा को पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ कि0मी0 8.00 के अन्त तक जाता है। इस संरेखन के कि0मी0 1 में पशु सेवा केन्द्र, चितई पन्त गॉव, कि0मी0 2 में चितई तिवाड़ी, मनियाली ग्राम तथा प्राईमरी पाठशाला विद्यमान है। कि0मी0 3–7 में पातालदेवी गॉव एवं मन्दिर विद्यमान है। कि0मी0 8 में पेटशाल तथा प्राईमरी पाठशाला पेटशाल विद्यमान है।

इस संरेखन कि0मी0 5 में एक पेरेनियल नाला विद्यमान है। यह सम्पूर्ण संरेखन नाप/बेनाप भूमि से होकर गुजरता है। प्रारम्भ में यह संरेखन नाइसिक चट्टानी भाग को पार करता है। नाप भूमि के नीचे खेतों में चट्टाने विद्यमान है इस संरेखन में कई सूखे नाले विद्यमान है जिनको यह संरेखन पार करता है।

इस संरेखन में कोई भी भू–स्खलन विद्यमान नही है। इस संरेखन के नाप भूमि वाले भाग में कोई भी वृक्ष नही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखन स्थल देखा गया जिसमें से द्वितीय संरेखन स्थल को भू–गर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाते हुए चयनित नही किया गया है। प्रथम संरेखन स्थल को भू–गर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित एवं उपयुक्त पाते हुए चयनित किया गया है। इस संरेखन की स्थिति निम्नवत है।

1 कि0मी0 1.00 – चट्टान 40 प्रतिशत, डेब्रिस 40 प्रतिशत, मिट्टी 20 प्रतिशत।
2 कि0मी0 2.00 – चट्टान 40 प्रतिशत, डेब्रिस 40 प्रतिशत, मिट्टी 20 प्रतिशत।
3 कि0मी0 3.00 – चट्टान 30 प्रतिशत, डेब्रिस 45 प्रतिशत, मिट्टी 25 प्रतिशत।
4 कि0मी0 4.00 – चट्टान 40 प्रतिशत, डेब्रिस 40 प्रतिशत, मिट्टी 20 प्रतिशत।
5 कि0मी0 5.00 – चट्टान 60 प्रतिशत, डेब्रिस 20 प्रतिशत, मिट्टी 20 प्रतिशत।
6 कि0मी0 6.00 – चट्टान 60 प्रतिशत, डेब्रिस 20 प्रतिशत, मिट्टी 20 प्रतिशत।
7 कि0मी0 7.00 – चट्टान 60 प्रतिशत, डेब्रिस 25 प्रतिशत, मिट्टी 15 प्रतिशत।
8 कि0मी0 8.00 – चट्टान 60 प्रतिशत, डेब्रिस 25 प्रतिशत, मिट्टी 15 प्रतिशत।

इस मोटर मार्ग में कई सूखे नाले विद्यमान है।

5– स्थायित्व का विचार:–

इस सम्पूर्ण संरेखन में स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस सम्पूर्ण स्थल में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:–

(1) यह पर्वतीय क्षेत्र में है ।
(2) यह भूकम्पीय क्षेत्र में है ।
(3) पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
(4) इस संरेखन में सम्पूर्ण भाग बेनाप/नाप भूमि है।
(5) इस संरेखन मे कई ग्राम आते है।
(6) इस संरेखन के कि0मी0 5 में पेरेनियल नाला विद्यमान है।
(7) इस संरेखन कई प्राईमरी पाठशालायें एव मन्दिर विद्यमान है।
(8) इस में कई सूखे नाले विद्यमान है।
(9) इस संरेखन में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नही है।
(10) इस संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है।

6– सुझाव:–

इस सम्पूर्ण संरेखन मे स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय परिस्थतियों आदि को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते है:–

1. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/कॉजवे का निर्माण किया जाय।
2. पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
3. गॉव/मिट्टी/डेब्रिस वाले भाग में आवश्कतानुसार ब्रेस्ट/रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाय।

56 45

4. गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का प्रयोग न किया जाय।
5. कि0मी0 5 के पेरेनियल नाले पर 18 मी0 विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।
6. मिट्टी वाले भाग में मोटर मार्ग के वाह्य भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी वाह्य भाग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।
7. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्गों के मानकों के अनुसार उपाय किये जाय।
8. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।
9. भूकम्पीय मानक के अनुसार उपाय किये जाय।
10. अन्य आवश्यक उपाय जो मोटर मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

7–निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है ।

19.2.08
(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियंता,कुमायूँ क्षे0
लो0नि0विभाग,अल्मोड़ा

प्रपत्र–35

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iii) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त सम्स्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–36

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

:मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्रः

:मानक शर्तेः

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, [illegible] बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित हैं। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर [illegible]

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्की करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेंसी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रारुप—34

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

भू—वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र—37

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रारुप–38

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–39

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–40

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	चितई तिवारी	287	51
2	चितई पन्त	348	62
3	मन्योली	59	8
4	पूनाकोट	561	105
5	पेटशाल बाड़ी	35	5
योग		**1290**	**231**

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–50

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी......V......
2. हरियाली का घनत्व......·4......
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0......939000=00......
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल......2.43875......
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि......2289986=00......

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल वन प्रभाग अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–51

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रारुप–41

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 1260000 प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये 3072825.00 होता है।

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रपत्र–53

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि ....X..........वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रपत्र–52

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊ0				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
4	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
5	पानी की ढुलाई आदि								
6	कुल योग								

प्रभागीय वनाधिकारी

Undertaking of user agency to bear the cost of demarcation work

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु पिलरों के निर्माण की धनराशि को याचक विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। उसकी धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग उपलब्ध कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा